देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-30 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःसितम्बर 17,2022

विषयः गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन(तस्करी) की घटनाओं की रोकथाम, बरामदगी तथा सम्मिलित अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी विधिक/निरोधात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

गोवंश के वध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी) की घटनाओं को रोकने हेतु इस मुख्यालय के स्तर से पूर्व में कई निर्देश प्रेषित किये गये है। इसका सम्यक अनुपालन न हो पाने के कारण प्रदेश में गोवध तथा गोवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी अनाधिकृत परिवहन (तस्करी) की घटनायें घटित होती रहती है। गोवंश के वध तथा तस्करी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों व गैंग को चिन्हित करते हुये इनके विरूद्ध प्रभावी विधिसंगत/ निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के अवैध कृत्यों में संलिप्त विभिन्न गैंग का एक अभियान चलाकर समूल उन्मूलन किया जाये। विदित हो कि इस अपराध पर प्रभावी नियंत्रण न हो पाने के कारण इस क्रूर प्रवृत्ति के प्रति जनता में काफी आक्रोश उत्पन्न होता है तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

डीजी परिपत्र सं0-69/2015 दिनांकः13.10.2015
डीजी परिपत्र सं0-04/2017 दिनांकः24.03.2017
डीजी परिपत्र सं0-48/2018 दिनांकः04.09.2018
डीजी परिपत्र सं0-14/2020 दिनांकः18.04.2020

2- गोवंश के वध, दुधारू पशुओं व गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी) तथा इस अवैध कृत्य में संलिप्त गैंग के समूल उन्मूलन एवं कार्यवाही हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित हैः-

(1)- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों को दक्ष, जागरूक, सक्रिय तथा निष्ठावान बनानाः-

- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त कर्मियों को उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम-1955 यथासंशोधित 2002, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960, The Transport of Animal Rules-1978 तथा अन्य विधिक प्राविधानों के प्रति जागरूक व दक्ष बनाने हेतु इनकी समुचित ब्रीफिंग की जाये, कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाये तथा विधि विशेषज्ञों के व्याख्यान कराये जायें। उक्त समस्त विधिक उपबन्धों का पालन करते हुये ही समस्त कार्यवाही सम्पादित करायी जाये। इन विधिक प्राविधानों का उल्लंघन होने की दशा में अभियुक्तों को अभियोजन में लाभ पहुँचता है।

- जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर गोवध तथा गोवंश की तस्करी की घटनाओं के प्रति लापरवाह तथा तस्करी में मददगार पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके इनके विरूद्ध कार्यवाही करायी जाये। यदि इस प्रकार के अपराधों के पर्यवेक्षण तथा कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता या संलिप्तता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध कठोर विभागीय/दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(2)- **<u>गिरफ्तारी, बरामदगी एवं ऑपरेशनल कार्यवाही :-</u>**

- कमिश्नरेट/जनपद में गोवंश के वध व गोवंश तथा दुधारू पशुओं की तस्करी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाये। विगत 10 वर्ष में हुयी घटनाओं को संकलित व सूचीबद्ध करते हुये इनके आवागमन, तस्करी के रूट, हॉटस्पाट्स चिन्हित कर रणनीति बनाकर अभियान चलाया जाये।
- जहां भी गोवंश का वध व वध किये जाने का प्रयास किये जाने की सूचना प्राप्त हो तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी की जाये। घटनास्थल से मजबूत साक्ष्यों का संकलन करते हुये महत्वपूर्ण समस्त भौतिक प्रदर्श संकलित किये जायें।
- अभियुक्तों से राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीम लगाकर गहन पूछ-ताछ करायी जाये, पूछ-ताछ में अभियुक्तों की समूची चेन के अनावरण, गोवंश के परिवहन/तस्करी के मार्ग, श्रोत तथा मददगार/सहयोगियों का विवरण एकत्र करते हुये योजनाबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जाये।
- गोवंश तथा दुधारू पशुओं की तस्करी/अवैध परिवहन रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा अत्यन्त सतर्कता/सावधानी के साथ कार्यवाही की जाये। इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त तस्करों/अभियुक्तों द्वारा पूर्व में पुलिस टीम पर हमला करने की घटनायें हो चुकी हैं। अतः इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही पर्याप्त पुलिस बल के साथ फील्ड टैक्टिस के नियमों का प्रयोग करते हुये पूरी तैयारी के साथ की जाये।
- जनपद के जिन थाना क्षेत्रों में उक्त घटनायें निरन्तर हो रही हों, उन्हें हॉटस्पाट्स के रूप में चिन्हित कर प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जाये। तस्करी के प्रचलित मार्गों पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में रात्रि में सचल (Mobile) रहकर आकस्मिक चेकिंग करायी जाये। प्रदेश की सीमा से जुड़े जोन/परिक्षेत्र/जनपद में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध परिवहन (तस्करी) रोकने हेतु प्रभावी चेकिंग करायी जाये।

- पशु वधशालाओं के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन तथा जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- गोवध अधिनियम के उपबन्धों का पालन करते हुये अवैध परिवहन (तस्करी) के दौरान पकड़े गये पशुओं को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये गौशाला या ख्याति प्राप्त संस्था को सुपुर्दगी में दिया जाये।

(3)- <u>प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही तथा अभिलेखीकरण :-</u>

- गोवंश के वध तथा गोवंश व दुधारू पशुओं की अवैध तस्करी में सलिप्त अभियुक्तों तथा गैंग के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा रा0सु0का0 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करायी जाये।
- गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के अन्तर्गत अभियुक्तों के द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति चिन्हित करते हुये नियमानुसार जब्तीकरण की प्रभावी कार्यवाही करायी जाये।
- जनपद/कमिश्नरेट में विगत 10 वर्षों की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की सूची तैयार कर अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाये। सहअभियुक्तों व सहयोगियों को चिहिन्त कर गैंग पंजीकृत कराये जायें तथा इनकी अवैध गतिविधियों की सतत् निगरानी की जाये।

(4)- <u>गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही, वांछितों की गिरफ्तारी तथा अभियोजन में समुचित पैरवी :-</u>

- जोन/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर गोवंश के वध तथा गोवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) से सम्बन्धित समस्त लम्बित विवेचनाओं की सूची तैयार कर इनका समुचित पर्यवेक्षण/मानीटरिंग करते हुये वांछित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराया जाये।
- विगत 05 वर्षों में पंजीकृत समस्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा कर ली जाये। इनमें समस्त वांछित अभियुक्तों की सूची बनाकर टीम गठित करते हुये शत-प्रतिशत गिरफ्तारी करायी जाये। लम्बे समय से वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्या प्रयास किये गये, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पायी, इसमे किसकी लापरवाही रही, इसकी भी विधिवत् समीक्षा की जाये।
- उक्त अभियोग से सम्बन्धित माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमो की अभियोजन में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये, जिससे अभियुक्तों की जमानत न हो सके तथा उन्हें सजा दिलायी जा सके।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं तथा उत्तर प्रदेश शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों/परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गोवंश के वध तथा गोवंश व दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन (तस्करी) की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुये गिरफ्तारी व बरामदगी सुनिश्चित करायें।

4- उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांकः 18.09.2022 से दिनांकः 24.09.2022 (07 दिवस) तक अभियान चलाकर उपरोक्त अंकित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्त द्वारा 07 दिवस के इस अभियान का प्रभावी अनुश्रवण करते हुये कृत कार्यवाही की जनपदवार संकलित सूचना संलग्न 03 प्रारूपों में इस मुख्यालय की ई-मेल आई डी-section8-lo@up.gov.in पर (MS Excel esa) प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे तक प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
17/9/2022

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0/अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः यथोपरि।

प्रारूप-01 (गोवंश के वध से सम्बन्धित (गोवध निवारण अधिनियम) में कार्यवाही)

क्र0स0	जोन	कमिश्नरेट /जनपद	गोवध से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग की संख्या		गोवंश के वध की घटना में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्त की संख्या		गोवंश के वध की घटना में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या		बरामदगी (अनुमानित मूल्य/विवरण)		गोवंश की घटना में लिप्त वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य कार्यवाही			गोवंश के वध से सम्बन्धित लम्बित विवेचना का निस्तारण	
			दैनिक	प्रगतिर्शील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	मृत	घायल	कुर्की	दैनिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रारूप-02 (गोवंश/दुधारू पशुओं की तस्करी (पशु क्रूरता अधिनियम) के अन्तर्गत कार्यवाही)

क्र0स0	जोन	कमिश्नरेट /जनपद	पशु क्रूरता व तस्करी से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग की संख्या		नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्त की संख्या		गिरफ्तार अभियुक्त की संख्या		अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य कार्यवाही			बरामदगी (अनुमानित मूल्य विवरण)		लम्बित विवेचना का निस्तारण	
			दैनिक	प्रगतिर्शील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	मृत	घायल	कुर्की	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रारूप-03 (गोवंश के वध एवं गोवंश तथा दुधारू पशुओं अवैध परिवहन (तस्करी) की घटना में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही)

क्र0स0	जोन	कमिश्नरेट /जनपद	गोवंश के वध व अवैध तस्करी की घटना के अभियुक्तों की खोली गयी हिस्ट्रीशीट की संख्या		गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत अभियोग की संख्या		गैंगस्टर अधिनियम में निरूद्ध किये गये अभियुक्त की संख्या		रा0सु0का0 के अन्तर्गत कार्यवाही की संख्या		पंजीकृत गैंग की संख्या		14(1) गैंगस्टर अधिनियम में जब्तीकरण (मूल्य)	
			दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15